राजस्थानी भाषा को मान्यता की मांग, मुंह पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। अन्तर्राष्ट्रीय विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और प्रदेश की राजभाषा का दर्जा नहीं मिलने के कारण राजस्थानी मोट्यार परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मुंह पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को राजस्थानी भाषा को क्रमश: आठवीं अनुसूची एवं राजभाषा का दर्जा देने के लिए ज्ञापन केन्द्र एवं राज्य सरकार के नाम सौंपा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आपकी मांग पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचा दी जायेगी। इससे पूर्व मोट्यार परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के चारों ओर पैदल मार्च निकाला।

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग को लेकर राजस्थानी मोट्यार परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।

राजस्थानी मोट्यार परिषद के राजेश चौधरी ने बताया कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज भी राजस्थानी भाषा मान्यता हेतु तरस रही है। राम अवतार उपाध्याय ने बताया कि आज राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने के कारण राजस्थान में दूसरे राज्य के लोग आसानी से नौकरी लग जाते हैं। कृष्ण कुमार गोदारा ने बताया कि राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश होने के बाद भी मान्यता नहीं मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

करण चौधरी ने बताया कि राजस्थानी भाषा को जल्द ही मान्यता नहीं मिली तो उग्र आन्दोलन किया जायेगा। डॉ नमामी शंकर आचार्य ने कहा कि नई शिक्षा-नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान होने के बाद भी राजस्थान के विद्यार्थी इससे वंचित है। प्रशान्त जैन ने बताया कि राजस्थान सरकार अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, 1956 में संशोधन कर राजस्थानी भाषा को तुरंत हिन्दी के साथ राजभाषा बनाए। इसके लिए केन्द्रीय पीएमओ व गृह मंत्रालय से अनुमति-पत्र आरटीआई के माध्यम से मिल चुके हैं।

बजरंग सहारण ने कहा कि रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा को नहीं जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। कमल मारू ने बताया कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा राज्य सरकार दे सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली इसके अच्छे उदाहरण है।

इस प्रदर्शन में एडवोकेट हिमांशु टाक, विप्र सेना जिलाध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, ग्रुप 7011 से जुड़े राकेश डोगीवाल, सुभाष भिढ़ासरा, मुकेश सोलंकी, राकेश शर्मा, राजकीय डूंगर कॉलेज के अध्यक्ष हरीराम गोदारा, राजेंद्र चौधरी, दीपक चौधरी, आकाश चौधरी, विनोद सारस्वत, सुनील विश्नोई, अनुराग मारू, शुभकरण, नखतू चंद, पप्पू सिंह, पृथ्वी राज, दिलीप सेन, चतरनाथ, राजूनाथ, अर्जुन पारीक, मुकेश रामावत, सुनील सांखला, सरजीत सिंह, सूर्यप्रताप सिंह शेखावत, भैरूं सिहाग, मनमोहन बीठू, गिरधारी मारू, वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी, मोईनुदीन कोहरी नाचीज, राजाराम स्वर्णकार, डॉ अजय जोशी, योगेश व्यास राजस्थानी, किशन मोदी, किशन पुरोहित, बजरंग बिश्नोई, मुकेश परिहार एवं चलकोई फाउंडेशन व राजस्थान युवा समिति के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

- **प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को राजस्थानी भाषा को क्रमशः आठवीं अनुसूची एवं राजभाषा का दर्जा देने के लिए ज्ञापन केन्द्र एवं राज्य सरकार के नाम सौंपा**

रैली निकाली : अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रज्ञालय संस्थान एवं राजस्थानी युवा लेखक संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थानी भाषा मान्यता को समर्पित तीन दिवसीय समारोह का आगाज आज प्रात: लक्ष्मीनारायण रंगा सृजन-सदन से प्रदेश की दूसरी राजभाषा राजस्थानी शीघ्र घोषित हो की मांग को लेकर एक रैली से हुआ। जिसका शुभारंभ वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं राजस्थानी समर्थक राजेश रंगा ने हरी झंडी दिखाकर किया।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद् राजेश रंगा ने कहा कि हमें हमारी मां, मातभूमि एवं मातृभाषा के मान-सम्मान के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। हमारी मातृभाषा राजस्थानी जिसका हजारों वर्ष पुराना साहित्य-सांस्कृतिक वैभवपूर्ण इतिहास है। साथ ही राजस्थानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सभी मानदण्डों पर खरी उतरती है। ऐसे में मातृभाषा राजस्थानी को राज्य सरकार शीघ्र दूसरी राजभाषा घोषित करें। समारोह के सह संयोजक हरिनारायण आचार्य ने कहा कि राजस्थानी भाषा देश की प्रादेशिक भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसी मातृभाषा की अनदेखी करना दु:खद पहलू है।

लोन वसूली टीम पर हमला

श्रीगंगानगर,(कासं)। राजियासर थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में आरोपियों ने बैंक कर्मियों की कार में तोड़-फोड़ के बाद आग लगा दी। बैंक की लोन वसूली टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बाप-बेटे ने लोहे की रॉड से हमला कर बैंक कर्मियों की कार के शीशे तोड़ दिए और वाहन को आग के हवाले कर दिया।

बैंक कर्मचारियों को जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मामला श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव का है। राजियासर थाने के एएसआई हनुमान मीणा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक रघुनाथपुरा शाखा के प्रबंधक प्रमोद कुमार ने राजियासर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि बैंक की रिकवरी टीम रघुनाथपुरा निवासी सुनील कुमार पुत्र राजाराम से पशु लोन का बकाया वसूलने गई थी। घटना के बाद राजियासर थाने के बाहर अन्य बैंककर्मी में कार्रवाई में जुट गए।

रिपोर्ट में बताया कि टीम को देखकर सुनील ने गाली-गलौज शुरू कर दी और पालतू कुत्ते पीछे छोड़ दिए। इसके बाद अपने बेटे के साथ मिलकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। जब टीम मेंबर गाड़ी छोड़कर भाग गए तो उसमें आग लगा दी। शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार ने राजियासर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने सुनील कुमार और उसके बेटे कमल और प्रवीण के खिलाफ मारपीट और कार जलाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सार-समाचार

10 गैस सिलेंडर व कांटा जब्त

रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई कर रिफिलिंग करते सिलेंडर व अन्य सामान जब्त किया।

बीकानेर, (कासं)। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग का कार्य विधि विरूद्ध है। यह मानव जीवन को खतरे में डालने वाला है। जिसके विरूद्ध नियमित रूप से ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में कार्यरत प्रवर्तन स्टाफ की समीक्षा बैठक ली जाकर निर्देशित कर सभी प्रवर्तन कार्मिक उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के बारे में गहनता से जानकारी जुटाकर विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह इस संबंध में कार्रवाई की समीक्षा जिला स्तर पर की जायेगी। जिले में अब तक हुई इस सप्ताह तीन स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध दुरूपयोग पर रसद विभाग की टीमों जिसमें प्रखर भार्गव, राहुल गुलानी तथा दीपक पूनिया शामिल थे। इस दौरान कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 सिलेंडर, दो-दो मोटर और कांटा जब्त किए गए। इन सभी प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया जाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थी तक सही माप और सही समय पर खाद्यान्न पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत समस्त 53 सदस्यों को आमंत्रित कर उनके विचार एवं सुझावों पर समीक्षा हेतु 27 फरवरी को जिला कार्यालय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

राजस्व अर्जन की जानकारी ली

एफ-संभागीय आयुक्त रवि कुमार सूरपुर ने राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली।

बीकानेर, (कासं)। संभागीय आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने शुक्रवार को राजस्व अर्जन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बीकानेर के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े। संभागीय आयुक्त ने निर्देशित किया कि राजस्व अर्जन से जुड़े सभी विभाग शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही को देखते हुए पूर्ण गंभीरता से कार्य किया जाए तथा प्रत्येक जिले में राजस्व अर्जन की नियमित समीक्षा हो। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने डीआईजी स्टाम्प, परिवहन, खनन, बिक्री कर, आबकारी विभाग के लक्ष्य और अब तक की प्रगति के बारे में जाना। उन्होंने लक्ष्यों की जिलावार समीक्षा भी की। साथ ही आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (आबकारी) रियाजुद्दीन उस्मानी, अतिरिक्त आयुक्त (बिक्री कर विभाग) कांतिलाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल पांडिया, खनि. अभियंता एम.पी. पुरोहित सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

निजी स्कूल संचालक ने सीज प्रोपर्टी का ताला तोड़ा

- **लोन नहीं चुकाने पर हाईकोर्ट ने बैंक में गिरवी निजी स्कूल भवन व मकान को सीज के आदेश दिए थे**
- **हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने गुरूवार शाम को गांव 82 आरबी के निजी स्कूल की कुर्कशुदा प्रोपर्टी का कब्जा बैंक को दिला दिया था**

श्रीगंगानगर, (कासं)। हाईकोर्ट के आदेश पर सीज किए गए निजी स्कूल और मकान के ताले स्कूल संचालक ने ग्रामीणों की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह तोड़ दिए और स्कूल का संचालन फिर से शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने बैंक का लोन चुकाने में नाकाम रहने पर प्रोपर्टी सीज करने के आदेश दिए थे। जिस पर प्रशासन ने स्कूल और मकान को सीज किया था। मामला रायसिंहनगर थाना इलाके के गांव 82 आरबी का है।

हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने गुरूवार शाम को गांव 82 आरबी के निजी स्कूल की कुर्कशुदा प्रोपर्टी का कब्जा बैंक को दिला दिया। इस दौरान स्कूल संचालक और उनके समर्थकों ने बैंक और प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध किया था। लेकिन एसडीएम सुभाषचन्द्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ बैंक को प्रोपर्टी का कब्जा दिला दिया था। इस दौरान डीएसपी अनू बिश्नोई, तहसीलदार हर्षिता मिढा, थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा और बैंक के अधिकारी मौजूद थे।

चक 82 आरबी में बीआर मॉडल स्कूल की प्रोपर्टी एयू स्मॉल बैंक में लोन लेकर स्कूल संचालक आत्माराम बिश्नोई ने गिरवी रखी थी। लेकिन लोन नहीं चुका पाने से बैंक ने इस स्कूल भवन पर ताला लगा दिया था। स्कूल संचालक ने बिना लोन चुकाए ही बैंक के लगे ताले को तोड़कर स्कूल का संचालन फिर से शुरू कर दिया था। जिस पर कुर्क सम्पत्ति का कब्जा फिर से दिलाए जाने को लेकर एयू बैंक के अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर बैंक की ओर से हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और एसपी को कानून का पालन करवाने, बैंक की ओर से गिरवी सम्पत्ति का कब्जा दिलााने के आदेश दिए।

छात्राओं को साईकिल वितरित

अनूपगढ़, (कासं)। गांव 65 जीबी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान सरकार की योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 9 की 12 छात्राओं को साईकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीबीईओ पंकज जांगिड़ ने छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने साइकिल चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही छात्राओं को राजस्थान और केन्द्र सरकार की विभिन्न नौकरी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वार्ड पंच सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह और समसा कार्यालय से प्रोग्राम ऑफिसर जया शर्मा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा निर्मल सिंह, प्रमोद पारीक, कालूराम और गुरदीप सिंह बराड़ सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार मोंगा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

15 लाख लेकर रजिस्ट्री कराने से किया इनकार

- **रूपये लेकर तीन भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं कराने पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज**

नोखा, (कासं)। पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भट्टड़ स्कूल के पास रहने वाले कैलाश पारीक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कैलाश पारीक ने रिपोर्ट में बताया कि हिम्मटसर निवासी गौरीशंकर और मदनलाल करनानी ने उनसे जमीन का सौदा किया। गौरीशंकर ने अपने पिता और दो भाईयों बद्रीलाल व सूरजमल करनाणी के नाम की हिम्मटसर में 9,886 वर्गगज आबादी भूमि के पट्टे दिखाए। ये पट्टे ग्राम पंचायत हिम्मटसर द्वारा 5 नवम्बर और 21 अगस्त 1974 को जारी किए गए थे। 25 सितम्बर 2024 को 39.11 लाख रूपए में जमीन का सौदा तय हुआ।

कैलाश ने इस सौदे में 15 लाख रूपये नकद और बैंक के माध्यम से अदा किए। सौदे का इकरारनामा नोटरी से प्रमाणित करवाया गया जिसमें हसन खां और महावीर करनाणी गवाह बने। बार-बार कहने पर भी आरोपियों ने बैनामा नहीं किया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने नए पट्टे बनवा लिए हैं। जबकि एक बार पट्टा बन जाने के बाद दोबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। आरोपियों ने फिर भी ग्राम पंचायत से 10 नए पट्टे जारी करवा लिए। पीड़ित का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने जानबूझकर धोखाधड़ी की और उनके 15 लाख रूपये हड़प लिए। साथ ही तीनों भूखंडों की रजिस्ट्री करने से भी मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अब ए.डी.पी. देंगे विधिक राय

बीकानेर, (कासं)। जिलों में पुलिस को किसी भी तरह की विधिक राय के लिए अब पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों की राह नहीं तकनी होगी। सरकार ने 20 जिलों को सहायक निदेशक अभियोजन दे दिए हैं और बाकी रहे 16 जिलों में भी जल्दी ही इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। जिलों में पुलिस को अक्सर गंभीर मुकदमों, कोर्ट के मामलों, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सहित अनेक मामलों में कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से सलाह-मशविरा करना पड़ता था। इस कारण मामलों के निपटारे, जवाब देने और कानूनी कार्यवाही में देरी होती थी। अब जिला पुलिस को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर जिले में सहायक निदेशक अभियोजन (एडीपी) का पद सृजित कर दिया गया है और बीकानेर सहित 20 जिलों में इनकी नियुक्ति भी कर दी गई है। जिले के पुलिस अधिकारी किसी भी मामले की फाइल एसपी के जरिये ही विधिक राय के लिए भेज पायेंगे।

अवैध हथियार सहित युवक को दबोचा

- **कावनी गांव के युवक से दो देशी पिस्टल और कारतूस बरामद**

बीकानेर, (कासं)। हथियार रखने वाले युवकों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू है। शहर में हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से दो देशी पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक कावनी गांव के पास 25 जेएमडी का रहने वाला है।

मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि नाल थाना क्षेत्र के कावनी गांव में रहने वाला ओम सिंह उर्फ बाबू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। महज 30 साल के इस युवक के पास दो पिस्टल और एक कारतूस जब्त की गई। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच थाने की एसआई रेणु बाला को सौंपी गई है। पुलिस जांच कर रही है कि ओम सिंह ने हथियार कहां से खरीदे हैं। जिस व्यक्ति से ओम सिंह ने हथियार खरीदे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही किन युवकों के पास हथियार है। इसका भी पता लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवक हथियार लेकर घूम रहे हैं।

छोटे-मोटे झगड़े में ही हथियारों का उपयोग हो रहा है। ऐसे में पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रही है।

सात दिन में दुकानें हटाने का नोटिस

बीकानेर,(कासं)। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर रोड पर संचालित 12 दुकानों को सात दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया गया है।

जयपुर रोड पर जाट छात्रावास परिसर में 12 दुकानें (साईज 9 गुणा 15) संचालित की जा रही हैं। यह छात्रावास परिसर में भवन विनियम प्रावधान अनुसार नियमों के विपरीत बनी हुई हैं। प्राधिकरण द्वारा सात दिनों में इन दुकानों को हटवाए जाने का नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में दुकानें नहीं हटाने पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए संबंधित संस्था से हर्जाना वसूल किया जायेगा। आदेश के अनुसार मुख्य रोड पर व्यवसायिक गतिविधियों के कारण दुर्घटना की संभावना अक्सर बनी रहती है।

जमीन का फर्जी आवंटन, पटवारी व लाभार्थी को 5 साल की सजा

- **17 बीघा जमीन बेचने के बाद मिलीभगत से 7.12 बीघा वापस आवंटन कराई**

बीकानेर, (कासं)। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार सोनी ने खाजूवाला के चक 14 पीपी में मीडियम पेच की जमीन का मिलीभगत से फर्जी आवंटन करवाने के मामले में तत्कालीन हल्का पटवारी और लाभार्थी को दोषी मानकर प्रत्येक को 5-5 साल की सजा और 50,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

खाजूवाला निवासी परिवादी ओमप्रकाश जाट की ओर से वर्ष 2010 में एसीबी को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी भंवरू खां ने 28 जनवरी, 2009 को 17 बीघा जमीन परिवादी की जरिये बयनामा बेच दी थी। इसके बावजूद भंवरू खां ने हल्का पटवारी प्रेमसिंह राजीव से मिलीभगत की और 7.12 बीघा अराजीराज रकबा को मीडियम पेच में आवंटन करवाने के लिए 12 मार्च, 09 को आवेदन कर दिया। जबकि मुरबे की 17 बीघा जमीन पूर्व में बेचने पर वह इसके लिए पात्र ही नहीं था।

आरोपी पटवारी प्रेमसिंह को इन सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद आवंटन अधिकारी को सूचना नहीं दी। इससे आवंटन अधिकारी ने 26 मई, 09 को पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट पर मीडियम पेच की जमीन को आवंटित कर दिया। भंवरू खां ने जमीन आवंटित करवाने के बाद आरोपी पटवारी को भूमि का मुख्तयारआम नियुक्त कर दिया। एसीबी ने इस फर्जीवाड़े की जांच की और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पटवारी और लाभार्थी को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 5-5 साल के कारावास और 50,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए।

सूचना

भगत सिंह शिक्षण संस्थान श्रीगंगानगर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है की संस्था की प्रबंध समिति एवं आम सभा की बैठक दिनांक 02-03-2025 को संस्था के गाँव 15 एस.जी.आर. परिसर मे आयोजित की जानी है, जिसमे आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

– सचिव – 7339835651

कृषि महाविद्यालय

(स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

No. F./CoA/Bkn./Estt./2025/3197 Date :- February 20, 2025

कृषि महाविद्यालय बीकानेर के पुस्तकालय हेतु पाठ्य ,सामान्य विदेशी, संदर्भ पुस्तक (पेपर बैग व हार्ड बाउंड) राजकीय प्रकाशित पुस्तक एवं आईसीएआर पुस्तक ई-बुक्स ,ई- जनरल्स एवं जनरल की निविदा सूचना जारी की गई है। आमंत्रण निविदा सूचना की महत्वपूर्ण शर्ते व पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट https://raubikaner.org/ पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/24/12080

बजट में 10.1 प्रतिशत ग्रोथ रेट दिखाना मोदी सरकार का साहसिक कदम : तोखन साहू

बीकानेर, (कासं)। भाजपा संभाग कार्यालय में भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचारिया की अध्यक्षता में प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्य अतिथि व वक्ता आवास एवं शहरी केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बजट 2025-26 पर प्रबुद्धजनों और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया।

तोखन साहू ने कहा बजट को विकसित भारत के संकल्प और गरीबों के सपनों को साकार करने वाला ये बजट आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार ने 12 लाख रूपये तक की आय को टैक्स फ्री करके मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। परिचर्चा में साहू ने प्रबुद्धजनों और मध्यम वर्ग के लोगों के बजट पर विचार सुनें और उनको बजट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि न्यूक्लियर पावर के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करना समृद्धशाली और विकसित भारत को दर्शाता है। बजट में 10.1 प्रतिशत ग्रोथ रेट दिखाना मोदी सरकार का साहसिक कदम है।

बीकानेर भाजपा कार्यालय में केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू ने केन्द्रीय बजट पर प्रबुद्धजनों व मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद किया।

- **परिचर्चा में साहू ने प्रबुद्धजनों और मध्यम वर्ग के लोगों के बजट पर विचार सुनें और उनको बजट की विस्तृत जानकारी दी**

मोदी सरकार ने बजट में युवा, किसान, महिला और गरीबों के उत्थान के लिए अनेक साहसिक कदम उठाए हैं। किसानों के क्रेडिट कार्ड की केसीसी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। मोदी सरकार ने मेडिकल साइंस में 1 साल में 10 हजार सीट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो अगले 5 साल में 75 हजार हो जायेगी। यह बजट रोजगार देने वाला और भारत की इकोनॉमी को शक्तिशाली बनाने वाला है।

हिन्दी गीत संग्रह 'अनहदनाद' का लोकार्पण कल

बीकानेर, (कासं)। युवा साहित्यकार एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य के हिन्दी गीत संग्रह 'अनहदनाद' का लोकार्पण रविवार सायं 5.15 बजे रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग संघ के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किया जायेगा। मुक्ति संस्था, शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान तथा सूर्य प्रकाशन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि-कथाकार राजेन्द्र जोशी होंगे। अध्यक्षता शिक्षाविद् डॉ. उमाकांत गुप्त करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में पत्र वाचन कहानीकार एवं नाट्य लेखक हरीश बी. शर्मा करेंगे। इससे पूर्व आचार्य तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें राजस्थानी काव्य संग्रह 'करमां री खेती', राजस्थानी बाल काव्य संग्रह 'पेटूराम रो पेट' तथा हिन्दी काव्य संग्रह क्यूं रचू कविता शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आचार्य को राज्यपाल द्वारा मतदाता जागरूकता और नशा मुक्ति के क्षेत्र में दो बार सम्मानित किया गया है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 3887 दिनांक : 20/02/2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द निवासी 6 बी 10, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	विवरण	दस्तावेज का विवरण
चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 41 किला नं. 4, 7 में माप 35 इन्टू 70 फीट भूखण्ड संख्या सी-14, मानसरोवर कॉलोनी, श्रीगंगानगर	नियमन पट्टा संख्या 6612 दिनांक 09.02.2009 को श्री दिवानचन्द पुत्र श्री भागाराम के नाम से पट्टा जारी है। वर्तमान में भूखण्ड इन्हीं के नाम से दर्ज है।	श्री दीवानचन्द की मृत्यु दिनांक 11.03.2024 को हो चुकी है।	श्री दीवानचन्द की मृत्यु उपरान्त श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 31.05.2022 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द निवासी 6 बी 10, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY24-25/MUT/795 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/40 **विज्ञप्ति** दिनांक : 20.2.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 4 में भूखण्ड सं. ME-180 भूखण्ड माप 25'-0'' गुणा 60'-0'' फीट का नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा आवासीय पटटा सं. 4401 दिनांक 13.07.2015 एवं भूखण्ड सं. ME-151 भूखण्ड माप 25 गुणा 55 फीट आवासीय पटटा सं. 4420 दिनांक 16.07.2015 द्वारा श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री किशन कुमार मित्तल के नाम से जारी है। पटटाधारक श्री किशन कुमार मित्तल द्वारा भूखण्ड सं. ME-180 भूखण्ड माप 25 गुणा 60 फीट एवं भूखण्ड सं. ME-151 भूखण्ड माप 25 गुणा 55 फीट जरिये रजिस्ट्री श्री पियूष बोरड पुत्र श्री सुमेरमल बोरड को विक्रय किया गया है। श्री पियूष बोरड पुत्र श्री सुमेरमल बोरड द्वारा भूखण्ड सं. ME-180 का नामान्तरण न्यास के पत्रांक SGNR/FY/24-25/MUT/1333 DT 31.01.2025 एवं भूखण्ड सं. ME-151 का नामान्तरण न्यास के पत्रांक SGNR/FY/24-25/MUT/1327 DT 31.01.2025 द्वारा जारी है। श्री पियूष बोरड द्वारा उक्त दोनो भूखण्डों का पुर्नगठन की शर्त के साथ आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान में प्रश्नगत भूखण्ड का प्रस्तावित भू-उपयोग मिश्रित आरक्षित है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10. 2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर